फ़र्द अहकाम

न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी आमेर~~ सहायक कलक्टर आमेर जिला जयपुर

श्रवण बनाम मालीराम

प्रकरण संख्या : ~~/2023~~ 161/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	8/2/2023	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। पूर्व में आदेशित किया गया था की कुरेजात रिपोर्ट पर बहस नहीं करने पर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर दिया जावेगा। बावजूद वादी व प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। पत्रावली व कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/2/2023 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	
	14/2/2023	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा कुरेजात पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पूर्व में पेश नहीं की गई है। अतः वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाये गये। कुरेजात रिपोर्ट निर्णय व डिक्री के अभिन्न अंग रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 161/2017 वाद प्रस्तुति दिनांक – 21.12.2017

श्रवण पुत्र श्री बोदूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम गुढा सुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. मालीराम यादव पुत्र मूलचंद
2. राधा देवी पत्नी मूलचंद
3. सरजू देवी पत्नी मूलचंद
4. संती देवी पुत्री मूलचंद
5. लाली देवी पुत्री मूलचंद
6. प्रहलाद पुत्र नाथू
7. सीताराम पुत्र नाथू
8. लक्ष्मण पुत्र नाथू
9. लाडा देवी पत्नी रामचंद्र
10. बाबूलाल पुत्र रामचंद्र
11. सोहनलाल पुत्र रामचंद्र

    समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम गुढा सुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. शंकरलाल पुत्र चौथराम
13. कालूराम पुत्र नंदाराम
14. लक्ष्मण पुत्र नंदाराम

    समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम गुढा सुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।
15. तहसीलदार महोदय तहसील आमेर जिला जयपुर।
16. उप पंजीयक आमेर तहसील जयपुर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनाँकः– 14.02.2023

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गुढा सुर्जन पटवार क्षेत्र जालसू, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बर 559/1304 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 578 रकबा 0.8700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 579 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 637 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 638 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 639 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 640 रकबा 1.7600 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.9600

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/10 निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 उक्त वादीग्रस्त अविभाजित भूमि के सह–खातेदार व उनके वारीसान है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का आज तक वादी व अन्य खातेदारों के मध्य कानूनी तौर पर बाई मिट्स एण्ड बंटवारा नहीं हुआ है ओर उक्त संपूर्ण भूमि अविभाजित भूमि है। इसलिए वादी के अविभाजित हिस्से को बेचने या अविभाजित भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 को ना तो पहले था ओर ना ही लेकिन वर्तमान मे भूमि की कीमते काफी बढ गयी है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के मन मे बदनियति आ गयी है तथा वे उक्त संपूर्ण वादग्रस्त अविभाजित कृषि भूमि पर निर्माण कराकर दीगर लोगो को बेचान करने की फिराक में है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 ने आपस मे साज कर रखी है तथा वे येन–केन प्रकारेण वादी को उसके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते है। जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 को कई बार विधिक रूप से तकासमा कराने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 को कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते आ रहे हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा वादीग्रस्त भूमि को बेचान किये जाने की एलानियां धमकी दिये जाने से वादी को युक्तियुक्त आशंका हो गयी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 उक्त संपूर्ण अविभाजित भूमि में निर्माण कराकर संपति की मौका स्थिति बदल देगें एव सपत्ति को दीगर व्यक्ति को बेचान कर देंगे और वादी को उनके हिस्से व कब्जेशुदा भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे। इसलिए वादी को अपने हितों व अधिकारों एवं अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षा हेतु यह दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादग्रस्त आराजी जिसका वर्णन वादपत्र की मद संख्या 1 में अंकित किया गया है, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस भूमि की किस्म, मूल्य एवं लगान के आधार पर न्यायिक बंटवारा कर वादी को वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 559/1304 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 578 रकबा 0.6700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 579 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 637 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 638 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 639 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 640 रकबा 1.7600 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.9600 हैक्टेयर ग्राम गुढा सुर्जन पटवार हल्का जालसू, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर के 1/10 वे हिस्से की भूमि का अलग खाता कायम किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण की विधि अनुसार तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 14 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 27.02.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 15.05.2018 को पत्रावली राजस्व कोर्ट जालसू में पेश पेश हुई प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से मालीराम स्वयं उपस्थित होकर तकासमा हेतु सहमति दी। अतः कब्जे को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर को कुरेजात प्रस्ताव बनाकर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार आमेर द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार कुरेजात रिपोर्ट प्रस्ताव दिनांक 23.08.2022 इस न्यायालय को भिजवाये गये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

उभयपक्ष द्वारा लगभग 6 पेशीयो से कुरैजात रिपोर्ट पर बहस नहीं करने पर कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु लिखा गया। परन्तु आज भी उभयपक्ष अनुपस्थित रहे। कुरैजात रिपोर्ट पर बहस नहीं करने पर मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा कुरैजात पर पूर्व में किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नही की गई है। अतः मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. कालूराम, लक्ष्मण पुत्र नंदा जाति अहीर सा0 देह राहिन स्टेट बैंक ऑफ चौमूं शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 559/1304 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 576 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 577 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 578 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. श्रवण पुत्र बोदूराम जाति– कुम्हार सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 640/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. सीताराम, प्रहलाद, लक्ष्मण पिता नाथूराम जाति अहीर सा0 देह के हिस्से खसरा नंबर 637 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 638 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 639 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 640/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. मालीराम पुत्र मूलचंद हि0 225/1120 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं लाडा देवी पत्नी रामचंद्र 130/1120 बाबूलाल, सोहनलाल पुत्र रामचंद्र हि0 765/1120 जाति अहीर राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू सा0 देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 579 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 640/3 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट व नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या ...
बउनवानी – श्रवण बनाम मालीराम ...
निर्णय दिनांक – 14.02.2...

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 161 / 2017 वाद प्रस्तुति दिनांक – 2...7

श्रवण पुत्र श्री बोदूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम गुढा सुर्जन तहसील आमेर ... जयपुर।

........वादी

बनाम

1. मालीराम यादव पुत्र मूलचंद
2. राधा देवी पत्नी मूलचंद
3. सरजू देवी पत्नी मूलचंद
4. संती देवी पुत्री मूलचंद
5. लाली देवी पुत्री मूलचंद
6. प्रहलाद पुत्र नाथू
7. सीताराम पुत्र नाथू
8. लक्ष्मण पुत्र नाथू
9. लाडा देवी पत्नी रामचंद्र
10. बाबूलाल पुत्र रामचंद्र
11. सोहनलाल पुत्र रामचंद्र

    समस्त जाति यादव निवासीगण ग्राम गुढा सुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. शंकरलाल पुत्र चौथराम
13. कालूराम पुत्र नंदाराम
14. लक्ष्मण पुत्र नंदाराम

    समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम गुढा सुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।
15. तहसीलदार महोदय तहसील आमेर जिला जयपुर।
16. उप पंजीयक आमेर तहसील जयपुर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक 14.02.2..3

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. कालूराम, लक्ष्मण पुत्र नंदा जाति अहीर सा0 देह राहिन स्टेट बैंक ऑफ चौमू शाखा चौमू के हिस्से खसरा नंबर 559 / 1304 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 576 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 577 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 578 रकबा ... हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. श्रवण पुत्र बोदूराम जाति- कुम्हार सा0 देह आतेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 640 / 1 रकबा 0.49 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. सीताराम, प्रहलाद, लक्ष्मण पिता नाथूराम जाति अहीर सा0 देह के हिस्से खसरा नंबर 637 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 638 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर ... रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 640 / 2 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 3 ... रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

1. मालीराम पुत्र मूलचंद हि0 225/1120 साहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया [illegible] लाडा देवी पत्नी रामचंद्र 130/1120 बाबूलाल, सोहनलाल पुत्र [illegible] 765/1120 जाति अहीर साहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू [illegible] खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 579 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 640/[illegible] 1.02 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे [illegible] हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त [illegible] रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।।

बसरब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 14.02.2023 को जारी किया [illegible]

दस्तखत ----

ओहदा ----

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बक्त इजराय हुक्मनामा			बक्त इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक	4 रूपये		मुतफर्रिक	4 रूपये	
मीजान			मीजान		